

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र 04 29/9/13

प्रमाण-पत्र सं० 4696/2013

आवेदन सं०

शुक्ति श्री Krishna Homes, H/O. Kamal Kumar & Co. Developers
Hilman Dew (Landowner)

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति की प्रभावित करने वाले संव्यवहारी और अबभारों के बारे में यही 1 में और उरारो सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 2004 तक की तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारी और अबभारों का पता चला है -


क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	निश्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रकृति के प्रति निर्देश		
				निश्पादन	दावेदार	जिल्द सं.	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza: Khatanga PS No 179 PS: Sadar Kh No 50, 42 PK No 232, 229 Area 16deci Dist:- Ranchi						DN No	5964 2012

दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।


- बंदक - पत्र की दशा में लाभ की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इनके बारे में उल्लेख हो
- पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

में यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहार और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाली किसी अन्य संव्यवहार और अवभारों का पता नहीं चलता है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया -

हस्ताक्षर - 
(पदनाम) -

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की


हस्ताक्षर :- 
(पदनाम) :-

कार्यालय :- D.S.R OFFICE, RANCHI

तारीख : 31/09/23




निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर।


31/09/23

टिप्पणी: इस प्रमाण में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदन द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो ऐसे दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (इन्डेक्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

- (1) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रकृतियाँ देखना चाहते हों अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायगी।
- (2) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगी।
- (3) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और मैं उसके द्वारा बूढ़े गये संव्यवहारों और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ना बूढ़े गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

Memo No. : 1597 Dt 31/09/23 Kaishra Home thro Kishor Shankar Kumar
शर्मा का मर्यादा अर्पण 7 प्लॉट नं. 45 Shri Kaishra
Homes New Karmik Nagar Dhanbad की प्रकृति

निबंधन पदाधिकारी

31/09